representation has been sent to DDA for examination.

(f) Necessary information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Conversion of MG line into BG line between Farrukhabad and Kanpur

896. SHRI MOHAMMAD AFZAL *alias* MEEM AFZAL:

MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether a survey was being conducted in the recent past for converting the metre gauge line between Farrukhabad and Kanpur into broad gauge;

(b) whether the survey has been completed;

(c) if so, what are the salient features thereof;

(d) if not, the reasons therefor and by when the same is likely to be completed; and

(e) the details of metre gauge lines in Uttar Pradesh which are proposed to be converted into broad gauge in the Eighth Plan period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Work on Survey is expected to be completed by March, 1992.

(e) No list of such lines has been decided.

Linking of areas with Railway lines in Uttar Pradesh

897. SHRI MOHAMMAD AFZAL *alias* MEEM AFZAL:

MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the areas in Uttar Pradesh where work is presently on to link them with railway lines; and

(b) the areas in Uttar Pradesh which are proposed to be linked with railway lines during the Eighth Plan period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Work for construction of new lines on the following sections has already been taken up:—

(i) Mathura-Alwar

(ii) Rampur-New Haldwani (Kathgodam)

(iii) Bagaha-Chhitauni (Restoration)

(iv) Guna-Etawah

(b) No proposal for the Eighth Plan has been finalised so far.

सार्वजनिक भूमि पर बने पूजा-स्थल

898. श्री मोहम्मद अफ़जल उर्फ़ मीम अफ़जल :

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली में उन पूजा स्थलों की संख्या तथा नाम क्या क्या है जो कि सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत रूप से बने हुए है ;

(ख) इस संबंध में क्या कानूनी प्रावधान है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

खाद्यान्नों पर राज सहायता का लाभ

899. **श्री राम नरेश यादव** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों पर कितने करोड़ रूपये की राजसहायता प्रदान की गई और क्या सरकार ने इस तथ्य को सुनिश्चित करने के लिए कोई अध्ययन किया है कि राज सहायता का लाभ वही व्यक्ति अर्थात् लघु तथा सीमान्त किसानों तक पहुंचे; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : भारतीय खाद्य निगम को पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नानुसार खाद्यान्नों के लिए राजसहायता प्रदान की गई थी :—

वर्ष	(करोड़ रुपयों में)
1988–89	2200
1989–90	2476 (चीनी सहित)
1990–91	2450 (चीनी सहित)

भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों को खाद्यान्नों के लिए कोई सीधी राजसहायता मुहैया नहीं करती है । तथापि, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि और सहकारिता मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित कुछ योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है । इस योजना के अधीन किसानों को राजसहायता मुहैया करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है । चूंकि किसानों को खाद्यान्नों के लिए सीधे कोई राजसहायता नहीं दी जाती है, इसलिए उसके बारे में कोई अध्ययन करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की भर्ती

900. **श्री राम नरेश यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेल सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपेक्षित प्रतिनिधित्व दिया गया है ; यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी में उनका कितना प्रतिशत है ; क्या उनके कोटे को भरने के लिये कोई विशेष भर्ती अभियान चलाया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : 1–4–1990 को, रेल सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का ग्रुप-वार प्रतिशत इस प्रकार है:—

ग्रुप	प्रतिशत अ० जा०	अ०ज०जा०
"ए"	11.88	3.75
"बी"	16.95	3.86
"सी"	15.33	4.68
"डी" (सफाई वालों को छोड़कर)	18.52	6.64
कुल मिलाकर	16.71	5.53